

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 20(1)साप्र/2/2015

जयपुर, दिनांक : २१/७/२०१६

—: आदेश :—

श्रीमती सपना, उप निरीक्षक पुलिस, (अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी), कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), जयपुर को चतुर्थ श्रेणी में उनकी वरियता संख्या ६७ए/२०१५ व सेवानिवृत्ति दिनांक ३०.१.२०४८ के आधार पर राजकीय आवास आवंटन नियम, १९५८ के नियम-२७ के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए “आउट ऑफ टर्न” के आधार पर नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या जी-८१३, गांधीनगर, जयपुर (स्वतंत्र) का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

शर्तें :—


1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से ८ दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, १९५८ के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/कर्य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, १९५८ के नियम ११(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से ८ दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से ६ माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। ६ माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कर्य नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

~~प्रधा~~
(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आघश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग को डायरी संख्या ६४२/एम/जीएडी/१६ दिनांक २९.४.२०१६ के क्रम में।
4. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), राजस्थान पुलिस, जयपुर।
5. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-३) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
8. अधिशासी अभियन्ता, साठनिविं-खण्ड-तृतीय/जन स्वाठा अभियान विभाग/जयपुर विभाग निगम लिंग, गांधीनगर, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चर्चा करावें।
10. संबंधित कर्मचारी।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
12. रक्षित पत्रावली।


(राजकुमार शर्मा)
सहायक शासन सचिव